

02/2018

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

**FIFTY
RUPEES**

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200184



Signature

न्यास विलेख
(Deed of Trust)

ओम् शिवा एवं सेवा ट्रस्ट/न्यास

यह ट्रस्ट/न्यास आज दिनांक 02/02/2018 को राजमन्डार (खेतवा), महाराजगंज में की बजरंग प्रसन्न सिंह पुत्र लक्ष्मण रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-साबना, जिला-मोहाकुर, जिला बुंदेल-आमनगढ़, ताला-लेहा, प्रान्त-बिहार, लक्ष्मीत-बिहार, जिला-बाराबंका का 50 द्वारा स्थापित किया गया है।

जिन्हें अपने न्यासकारी/संस्थापक कहा जाएगा। न्यासकारी/संस्थापक द्वारा रुपये 11000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) की धनराशि दिली कि वह दुरुस्वामी एवं सामंजसिक व शैक्षणिक कार्यों हेतु धान देने की इच्छा रखते हैं। न्यासकारी/संस्थापक उक्त राशि का अधिव्यवहारहीन न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि न्यास व्यवहार एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह ट्रस्ट ओम् शिवा एवं सेवा ट्रस्ट/न्यास के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जितने जगें अधिक हैं ट्रस्ट भी करवा जा सकते हैं।

अवधि... 2

Signature

भारतीय गैरन्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9H 200185

(3)

यह कि दफ्त का न्यायकर्ता नियोजित दफ्तरी होगा जिसे कि अपने दफ्त का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यायकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विहित शर्तों से उत्तर प्रदेश सरकार, जिन अदि भी सम्बन्धित है जिससे द्वारा दफ्त के क्षेत्र सम्बन्ध पूर्व शर्तों की और बढ़ाये जाके दफ्त अपने प्रदेशों में प्रयोग कर के सम्बन्ध हो जाके और न्यायकर्ता संस्थापक ने अपने दफ्त के अनुदान ₹500/- (पाच सय रुपये) की मदद राशि दफ्त को प्रदान की है। न्याय की शर्तियों को सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु न्यायकर्ता नियोजित अधिकार दफ्त व विहित शर्तों में कर रहा है।

1. दफ्त का पूरा नाम :- इस दफ्त का पूरा नाम अंशु किशोर एवं शैल न्याय होगा। यह न्याय पूर्ण विहित होगा।
2. दफ्त का पंजीकृत नाम :- इस दफ्त का पंजीकृत कार्यालय 20000000, लखनऊ-200000, पञ्जाब-इलाहाबाद, उत्तर-महाराष्ट्र 03 20 214-272185 03 20 2000 में होगा। तथा
3. दफ्त के प्रशासनिक कार्यालय का नाम :- उत्तर प्रदेश सरकार में दफ्त का प्रशासनिक कार्यालय न्याय न्याय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पञ्जाब-इलाहाबाद 20000000, लखनऊ-200000, पञ्जाब-इलाहाबाद 03 20 214-272185 में होगा। अधिक में प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ-200000 पर विहित शर्तों पर स्थापना किया जा सकेगा।
4. दफ्त का मुख्यालय :- इस न्याय का मुख्यालय इलाहाबाद दफ्त दफ्त 1882 के अन्तर्गत किया जा रहा है।
5. दफ्त का कार्यालय :- इस न्याय का कार्यालय लखनऊ न्याय में होगा।

उत्तर 3